

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री आकाश तोमर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनांक 07.05.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी ।

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा एक अदद अवैध तमंचा, 02 अदद जिन्दा कारतूस व एक मोटरसाइकिल बजाज पल्सर के साथ अभियुक्त सत्यकांत भट्ट उर्फ गोलू पुत्र विन्देश्वरी निवासी पुण्डा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 116 / 19 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



वारण्टी

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 04 वारण्टी नाम पता - 1 - रामजगत 2 - श्रीराम पुत्रगण रामफेर 3 - मुनूर पुत्र केदार निवासीगण गोरयाभार 4 - राकेश पुत्र रामरूप निवासी भैसहिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 ने विवाद को कराया शान्त – पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 1930 से कालर ने दो पक्षों में विवाद होने के संबंध में सूचना दी। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 08 मिनट में मौके पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराया गया तथा दोनों पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – मुख्य आरक्षी रामानन्द चौधरी, आरक्षी अनिरुद्ध प्रसाद, आरक्षी ध्रुव सिंह।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 01 वाहन चालान, 45 वाहनो से 10000 रु0 सम्मन

शुल्क वसूल

आज दिनांक 07-05-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 01 वाहन चालान, 45 वाहनो से 10000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग में (151/107/116 सीआरपीसी) 05 अभियुक्त गिरफ्तार –

1 – महली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

2 – मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

एण्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 07-05-2019 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 11 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 48 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमें से मनचले व शोहदे किस्म के लड़कों से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।